बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक– 8/6/15

संचिका सं०–17/ए 3–15/2014 –336 (17) /स्वा०/स्टेटिस्टियन (संविदा) के पद पर चयन हेतु गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों को स्टेटिस्टियन के गैर संवर्गीय रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर अधिकतम तीन वर्षों तक के लिए अथवा स्टेटिस्टियन के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सामने अंकित चिकित्सा महाविद्यालय में संविदा के आधार पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति योगदान की तिथि से प्रभावी होगा।

क्रमांक	नाम एवं पता	कोटि	पदनाम	पदस्थापित चिकित्सा महाविद्यालय का नाम
1	श्री अनुराग त्रिपाठी S/0- नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, ग्राम–खैरा, पो0–बाघा, जिला–मिर्जापुर, यू0पी0–2313306	सामान्य	स्टेटिस्टियन	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
2	श्री दामोदर तिवारी C/0- कन्हैया पाण्डेय, पी0एन0सिन्हा कम्पाउण्ड, भीखना पहाड़ी, महेन्द्रु पटना–6	सामान्य	स्टेटिस्टियन	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
3	श्री आलोक C/0- डा0 बी0के0 तिवारी, शारदा नगर, रोसड़ा (समस्तीपुर)बिहार–848210	सामान्य	स्टेटिस्टियन	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
4	श्री सुविक्रम प्रकाश C/0- सुधीर कुमार सिंह, आदर्श पथ–II आदर्श कॉलोनी, वेस्ट पटेल नगर, पटना–23	बी0सी0	स्टेटिस्टियन	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया।
5	श्री राहवीर अली नवाब अब्बास अली कम्पाउण्ड, गुजरी बाजार, पटना सिटी–800008	सामान्य	स्टेटिस्टियन	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर।

D/R.n.k. sinha sir/Adhisuchna

6	मो0 सरवर आलम At+PO- लकरी कालन भाया–किशुनपुरा, जिला–सिवान	एम0बी0सी0	स्टेटिस्टियन	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया।
7	श्री अमृतेश कुमार वर्मा एस0–16, सी0आई0एम0पी0, पनेश्वरनाथ हिन्दी भवन, छज्जुबाग, पटना।	बी0सी0	स्टेटिस्टियन	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा।

2. संविदा पर नव नियुक्त स्टेटिस्टियन को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर अनिवार्य रूप से तुरत कार्यभार ग्रहण कर सूचित करें।

3. (क) संविदा आधारित मानदेय 41,000/–00 (एकतालीस हजार) रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा, मानदेय की निकासी एवं भुगतान संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य, विभाग से प्राप्त आवंटन के विशेष अदायगी मद से करेगें तथा इसकी सूचना निदेशानुसार विभाग को देंगे।

(ख) प्राचार्य योगदान के समय आरक्षण एवं योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्रों की जाँच कर लेंगे तथा किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर विभाग को सूचित करेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा।

4. नियुक्ति संबंधी शर्ते :–

(क) समय–समय पर इनके कार्य एवं आचरण की समीक्षा की जायेगी, जिसे असंतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में समय से पूर्व भी कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।

(ख) प्राचार्य योगदान के समय एक सौ रूपये के नन जूडिसीयल/एडहेसिव स्टाम्प पर सम्बन्धित स्टेटिस्टियन से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुबंध संबंधी विहित प्रपत्र में अनुबंध हस्ताक्षरित करा लेंगे तथा योगदान के समय शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की जाँच कर लेगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D/R.n.k. sinha sir/Adhisuchna

ज्ञापांक :–17/ए 3–15/2014 – 336 (17) पटना, दिनांक– 8/6/15

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले0एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं सम्बन्धित स्टेटिश्टियन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य (श्री शर्मा)/उप निदेशक (चिकित्सा शिक्षा)/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी / विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा–17) स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी, 1 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

8/6/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

D/R.n.k. sinha sir/Adhisuchna